

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

पत्र सं०-3/स्था०-10(स्थानांतरण)-02/2025

पटना,दिनांक-

आदेश

विभागीय आदेश सं०-3027 दिनांक-30.06.2025 का प्रभावी होने की तिथि दिनांक-01.11.2025 को बिहार विधान सभा 2025 चुनाव एवं आदर्श आचार संहिता लागू होने के स्थिति में एक माह विस्तारित करते हुए दिनांक-01.12.2025 किया जाता है।

02. विभागीय स्थानांतरण आदेश मुख्य अभियंता द्वारा किये गये स्थानांतरण आदेश पर प्रभावी माना जाएगा।

03. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(सुशील कुमार मिश्र)
अवर सचिव

ज्ञापांक-3/स्था०-10(स्थानांतरण)-02/2025

पटना,दिनांक-

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सुशील कुमार मिश्र)
अवर सचिव

ज्ञापांक-3/स्था०-10(स्थानांतरण)-02/2025

पटना,दिनांक-

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सुशील कुमार मिश्र)
अवर सचिव

ज्ञापांक-3/स्था०-10(स्थानांतरण)-02/2025

पटना,दिनांक-

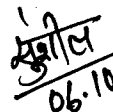
प्रतिलिपि:-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सुशील कुमार मिश्र)
अवर सचिव

ज्ञापांक-3/स्था०-10(स्थानांतरण)-02/2025 4651

पटना,दिनांक- 06/10/2025

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


06.10.2025
(सुशील कुमार मिश्र)
अवर सचिव